



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, सिंगरौली

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता



मान्यता दिनांक - 01/03/2025

आवेदन क्रमांक: 173379

प्रति,

अध्यक्ष,

Satna Diocesan Society, Satna

Christ Jyoti School

DEOSAR, सिंगरौली, मध्यप्रदेश

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 15/01/2025 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्कर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - Christ Jyoti School स्कूल आईडी -PS42789 विकासखंड-DEOSAR को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक, शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2025 से 31/03/2028 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-

(क) आयु के सबूत के आभाव में;

(ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;

(ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

(क) प्राथमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी।

(ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(ङ.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;

(च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जायें। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।

(छ) शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;

(ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Manager

Christ Jyoti School (CBSE)  
Odgady P.O; Bargawan  
Singrauli Dt; M.P.-486 886

Principal

Christ Jyoti School (CBSE)  
Odgady P.O; Bargawan  
Singrauli Dt; M.P.-486 886

(ज) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोत्तरि की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. स्कूल के भवन की स्थिति                       | स्वयं का भवन |
| 2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल                     | 87200        |
| 3. कुल निर्मित क्षेत्रफल                        | 22100        |
| 4. खेल मैदान का क्षेत्रफल                       | 65100        |
| 5. कक्षाओं के कमरों की संख्या                   | 13           |
| 6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष | 5            |
| 7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन      | हाँ          |
| 8. स्वच्छ पेयजल सुविधा                          | हाँ          |
| 9. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर                 | 1            |
| 10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा                  | हाँ          |
| 11. पठन-पाठन सामग्री                            | हाँ          |
| 12. खेल एवं खेलकूद उपकरण                        | हाँ          |
| 13. पुस्तकालय की उपलब्धता                       | हाँ          |
| 14. शिक्षकों की संख्या                          | 17           |

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयक को भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 42789 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्धियों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

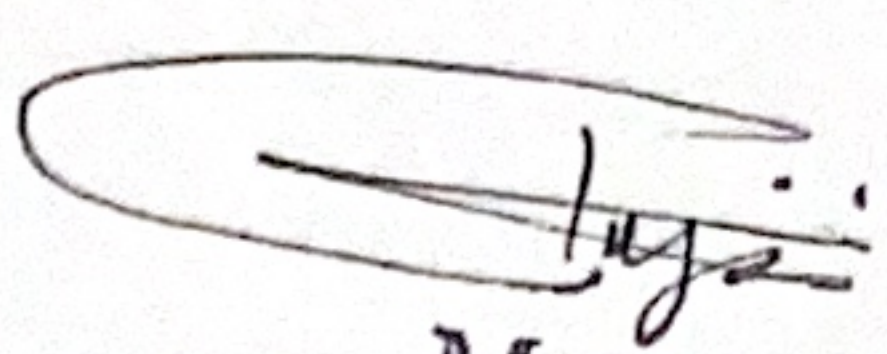
Digitally signed by RAM LAKHAN SHUKLA  
Date: 2025.03.01 17:44.13 +05:30  
Reason: RTE school recognition  
Location:

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

\* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।

  
Manager  
Christ Jyoti School (CBSE)  
Odgady P.O; Bargawan  
Singrauli Dt; M.P.-486 886  
Odgady

  
Principal  
Christ Jyoti School (CBSE)  
Odgady P.O; Bargawan  
Singrauli Dt; M.P.-486 886  
Odgady